उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, उज्जैन

::श्रमिक ठेका निविदा प्रपत्र::

अवधि 01—05—2019

से 30—04—2021

निविदा प्रपत्र मूल्य 1000/—

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
मक्सी रोड़ उज्जैन
टेलीफोन नंबर 0734–2527061, 2527066
फैक्स नंबर 0734–2527063
ई–मेल udsmis@yahoo.com

श्रमिक ठेका हेतु ई–निविदा आमंत्रण सूचना वर्ष 2019–2021

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन में ठेका श्रमिक प्रदाय हेतु पंजीकृत डी.जी. आर./ऐकल ठेकेदार/फर्म /सहकारी संस्था/एजेन्सी जिनके पास किसी प्रतिष्ठित शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में ठेका श्रमिक प्रदाय का दो वित्तीय वर्षो का अनुभव हो एवं जिनके पास कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना एवं जी.एस.टी. सर्विस टैक्स इत्यादि के आवश्यक एवं अन्य वैधानिक अनुज्ञप्ति (लायसेंस) हों तथा जो बैंक के आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अधीनस्थ ठेका श्रमिकों का अनिवार्य रूप से भुगतान करने में सक्षम हों से ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा अवधि 01 मई 2019 से 30 अप्रैल 2021 तक के लिये आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकर्ता रूपये 1000/– (एक हजार रूपये मात्र) ऑनलाईन भुगतान कर मध्यप्रदेश सरकार की ई–टेण्डरिंग बेवसाईट http:/www.mptenders.gov.in पर दिनांक 05.03.2019 प्रातः 11.00 बजे से ऑनलाईन क्रय कर सकते है। निविदा दिनांक 27.03.2019 अपरान्ह 01:00 बजे तक जमा की जा सकती है।

धरोहर राशि (Earnest money) रूपये 5,00,000/– (रूपये पांच लाख मात्र) ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है। निविदा संबंधी शर्ते एवं अन्य जानकारी एमपीसीडीएफ की वेबसाईट http:/www.mpcdf.gov.in पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
उज्जैन

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ उज्जैन
ठेके पर श्रमिक प्रदाय हेतु ऑन लाईन निविदा प्रपत्र

1.	निविदा प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	05.03.2019 प्रातः 11:00 बजे
2	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	27.03.2019 दोपहर 11:00 बजे तक
3.	निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	27.03.2019 दोपहर 01:00बजे तक
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	27.03.2019 दोपहर 03:00 बजे से
5.	भाव पत्र/दरें खोलने की तिथि एवं समय	30.03.2019 दोपहर 3.00 बजे से
6.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (Earnest Money)	रू 5,00,000=00(पांच लाख मात्र)
7.	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित मक्सी रोड उज्जैन
8.	ठेका हेतु " तकनीकी अर्हताऐं" का प्रारूप	प्रपत्र 01
9.	ठेके की सामान्य शर्ते	प्रपत्र 02
10.	" भाव पत्र /दरें " प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र 03

नोटः— तकनीकी अर्हताओं के प्रत्येक दस्तावेज पर पताका लगायी जाकर निविदा के साथ पताका सूची भी प्रस्तुत करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
उज्जैन

:: तकनीकी अर्हताऐं : :

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः सलंग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
2.	प्रतिष्ठित शासकीय या अर्द्वशासकीय संस्था में गत 2 वित्तीय वर्षो (2016–17 2017–18) में ठेके पर श्रमिक प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 300 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय किये हों (संस्था का नाम व पता जहॉ श्रमिक प्रदाय किये गये हों)		नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं सफलतापर्वूक अनुभव का प्रमाण पत्र
3.	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण		वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में जमा कराये गये ई.पी.एफ. की राशि के चालानों की छायाप्रति
4.	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शतप्रतिशत जमा होने का प्रमाण		वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में जमा कराये गये ई.एस.आई. की राशि के चालानों की छायाप्रति
5.	वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष रू. 1.80 करोड़ से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए।		Chartered Accountant द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानि खाते (Profit & loss A/C) की प्रमाणित छायाप्रति । (ऑडिट रिपोर्ट)
6.	कारखाना एवं श्रम विभाग से प्रकरण/वाद आदि विचाराधीन /लंबित न होने का शपथ –पत्र		नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र ।
7.	क्या निविदाकार का उज्जैन शहर में कार्यालय है।		यदि हॉ तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।
10.	क्या उक्त संस्थाओ में ई.पी.एफ./ ई.एस.आई. एवं सर्विस टेक्स इत्यादि का कोई विवाद तो पंजीकृत/ विचाराधीन नही है।		यदि विवाद नही है तो नोटरी का शपथपत्र 100 रू के स्टाम्प पर प्रस्तुत करें।
11.	ई.पी.एफ./ई.एस.आई. के पंजीकरण की सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है ।		सत्यापित प्रति संलग्न करें ।

12.	जी.एस.टी. का पंजीकरण आवश्यक है।		पंजीकरण की सत्यापित प्रति सलंग्न करें।
13	निविदाकार के पास श्रमिक प्रदाय हेतु जीवित लाईसेंस होना चाहिये		लाईसेंस की छायाप्रति

नोटः–

1. प्रपत्र कमांक 1 " तकनीकी अर्हताऐं" से संबंधित दस्तावेज पृथक लिफाफें में बंद कर भौतिक रूप में ही प्रस्तुत किये जावें। लिफाफें के ऊपर " प्रपत्र 1 :: तकनीकी अर्हताऐं" लिखा जावें।
2. प्रपत्र–2 में ठेके की सामान्य शर्तो में प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर आवश्यक है।
3. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि (Earnest money) राजसात की जा सकेगी।
4. भाव पत्र सिर्फ ऑन लाईन ही भरे।
5. उपरोक्त सभी तकनीकी अर्हताओं के प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा निरस्त की जावेगी।
6. न्यूनतम सुपरविजन सर्विस चार्ज 01 प्रतिशत होगा, इससे कम सर्विस चार्ज प्रस्तुत करने पर निविदा अमान्य की जावेगी। न्यूनतम सुपरविज़न सर्विस चार्ज तार्किक होना चाहिए। तार्किक नहीं होने पर निविदा अमान्य की जावेगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा तकनीकी रूप से पात्र निविदाकारों से निविदा की शर्तों की पूर्ति के लिए गणना पत्रक, वित्तीय निविदा खोलने के पश्चात मांगा जा सकेगा। सर्विस चार्ज गणना पत्र के आधार पर तर्क संगत नहीं होने पर निविदा निरस्त की जावेगी
7. यदि एक से अधिक निविदाकारो द्वारा समान दर प्रस्तुत की जाती है,तो गोटी के आधार पर समस्त निविदाकारों के समक्ष प्रथम न्यूनतम एवं द्वितीय न्यूनतम निर्णय लिया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन

प्रपत्र–02

:: ठेके की सामान्य शर्ते ::

01. श्रमिक ठेका दिनांक 01.05.2019 से दिनांक 30.04.2021 तक की अवधि (दो वर्ष) की अवधि तक प्रभावशाली रहेगा। श्रमिक ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर प्रबंधन यह विचार कर सकेगा कि ठेका अवधि आपसी सहमति एवं संतोषप्रद कार्य रहने पर एक–एक वर्ष कर दो वर्ष के लिए पूर्व स्वीकृत दर एवं शर्तो के आधार पर बढाई जा सकेगी।

02. ठेकदार को धरोहर राशि नगद रूपये/डी.डी. संयंत्र उज्जैन,रतलाम,मन्दसौर एवं दुग्ध शीतकेन्द्र आगर,शाजापुर,शामगढ़,मनासा,आलोट एवं सुसनेर हेतु राशि 500000=00 निविदा जमा करते समय जमा कराना होगी। निविदा के साथ जमा की गई ई.एम.डी. राशि का समायोजन अमानत राशि में किया जायेगा।

03. ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं अमानत राशि (Security Deposit) राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

04. कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एंड ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के पास श्रमिक प्रदाय हेतु जीवित लायसेंस होना आवश्यक है तथा उसे समस्त अधिनियमों व प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा व भविष्य में होने वाले संशोधनों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को संभाग के समस्त जिलो का श्रमिक प्रदाय हेतु लायसेंस कार्य आदेश प्राप्त होने के पश्चात् एक माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में कार्य आदेश निरस्त करते हुए अमानत राशि राजसात की जावेगी।

05. निविदाकार को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियां निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है, अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा । शपथ पत्र असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा तथा अमानत राशि राजसात की जावेगी। ई.पी.एफ. , ई.एस.आई.व सर्विस टेक्स जी.एस.टी.. की राशि का भुगतान उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के नाम से ही होना चाहिए। अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा, उज्जैन कार्यालय का सब कोड़ **(Sub Code)** लेना आवश्यक है, जिससे कि श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान ई.एस.आई. से करवाने हेतु ठेकेदार के सुपरवाईजर श्रमिको की मदद करेगे। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के ई.सी.आर. के साथ एक सूची प्रदत्त करनी होगी, जिसमें सिर्फ उज्जैन दुग्ध संघ के ही श्रमिको के नाम शाखावार होना चाहिये, जो ई.सी.आर. मे होना आवश्यक है। इस सूची की कुल राशि ही देयक में होना आवश्यक है, अन्यथा रू. 10,000/– का दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।

06. जिस कार्य की निविदा स्वीकृत की गई है उससे संबंधित कार्य हेतु प्रतिदिन प्रति पाली प्रबंधन की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगें । यदि अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा द्वारा ठेकेदार को यथा समय सूचना मौखिक दी जावेगी । तदानुसार ठेकेदार को व्यवस्था करनी होगी। यदि व्यवस्था करने में ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। ठेकेदार को सिर्फ प्रशिक्षित श्रमिक ही उपलब्ध कराना होगा।

07. श्रमिक ठेकेदार को स्वीकृत आदेश होने के पश्चात दस दिवस की अवधि में ऐसे श्रमिकों की जो ई. एस.आई. की परिधि में नही आते है उनके लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत समूह बीमा

पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का

08. नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। श्रम नियमानुसार समस्त वर्तमान प्रावधानों व भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन ठेकेदार को करना आवश्यक होगा। प्रत्येक श्रमिक का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना होगा । इस बाबत शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक श्रमिक रू. 1000/— तक की पेनाल्टी ठेकेदार पर लगाई जाएगी। प्रति छः माह में नियमानुसार ई.डब्ल्यू.एफ. का पैसा ठेकेदार को जमा करना है, जिसका भुगतान उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा ठेकेदार को प्रमाण प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।

09. किसी भी श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए एवं कार्य करने वाले श्रमिकों की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए । इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी कार्य हेतु प्रबंध पक्ष द्वारा महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।

10. आदेश प्राप्त होने पर ठेकेदार को सुरक्षा निधि **(Security Deposit)** रूपये 28.00 लाख जमा करनी होगी (एक माह की न्यूनतम मजदूरी) यदि एक माह की न्यूनतम मजदूरी अमानत राशि से अधिक होती है तो अंतर की राशि 3 माह में किश्तो में जमानत स्वरूप आपके देयको से काटी जाएगी। उक्त अमानत राशि ठेका समाप्त होने के पश्चात् संघ के समस्त विभागो से अदेय प्रमाण–पत्र एवं कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा कार्यालय आदि से सम्पूर्ण ठेका अवधि निरीक्षण टीप संघ में जमा कराने के पश्चात् एवं दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाकर श्रमिक कैम्प आयोजित किया जावेगा जिसमें प्राप्त समस्त शिकायतों के निराकरण उपरांत ही वापस की जावेगी । जमा अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। यदि पूर्व कार्यरत श्रमिक ठेकेदार इस निविदा को भरते हैं तो पूर्व की अमानत राशि का वर्तमान में समायोजन नहीं होगा । अनुबंध के समय आर.टी.जी.एस. या डिमाण्ड़ ड्राफ्ट जो " उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन " के नाम से जमा करनी होगी।

11. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की हाजरी के अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरी का भुगतान अनिवार्यतः केवल आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में हर माह की सात (07) तारीख के पूर्व करना होगा जिसकी संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में श्रमिक ठेकेदार को सभी ठेका श्रमिकों के बैंक एकाउंट खोलना होगा तथा श्रमिकों के वेतन व स्वत्वों का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से बैंक एकाउंट में ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान की जबाबदारी ठेकेदार की होगी। प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। श्रमिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची **(Salary Slip)** दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। वेतन पर्ची न दिए जाने पर रूपये 2000/— प्रति माह दण्ड अधिरोपित किया जावेगा। ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी, एवं आधारकार्ड की छायाप्रति भी संघ में जमा करवाना होगी।

12. प्रत्येक पाली में ठेकेदार या उसके पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो प्रति पाली अधिकतम रूपये 1,000/— तक अर्थदण्ड किया जा सकेगा । पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा। ठेकेदार पर्यवेक्षको के नाम उपलब्ध करायेंगे एवं किसी भी

ठेका श्रमिक से पर्यवेक्षण कार्य नही करवाया जावेगा अन्यथा रू. 10,000/– का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। पर्यवेक्षक का वेतन ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।

13. श्रमिको को पर्यवेक्षक द्वारा ऐसे कार्य आवंटित करना होगे, कि उसकी ड्यूटी के पूर्ण समय का उपयोग हो। कोई भी श्रमिक बिना कार्य करते हुए नही पाया जाना चाहिये। कम श्रमिको से अधिक उत्पादन की रणनीति को अपनाना होगा।
14. ठेकेदार द्वारा रखे गये श्रमिक को फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, परिचय पत्र, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड ठेकेदार को पूरा रखना होगा एवं समय–समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. संयंत्र परिसर में मदिरापान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है । किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य में लिप्त पाये जाने/अनुशासनहीनता करने, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने पर संबंधित श्रमिक को पारिश्रमिक देय नहीं होगा तथा ऐसे श्रमिकों को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा एवं श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध रू. 1,000/– प्रति श्रमिक अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकेगा, जिसकी वसूली संघ द्वारा ठेकेदार के देयक में से की जा सकेगी। दोषी पाये गये श्रमिकों को पुनःकार्य पर नहीं रखा जावेगा। हड़ताल/प्रदर्शन/धरना की स्थिति में संघ को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जाएगी, एवं प्रति श्रमिक प्रतिदिन रू.1,000/– का अर्थदण्ड अधिपरोपित किया जावेगा।
16. संघ परिसर में श्रमिक द्वारा धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के ऊपर रू. 100/– प्रति श्रमिक का दण्ड़ आरोपित किया जायेगा। श्रमिक द्वारा तीन बार लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जाये।
17. यदि ठेकेदार के श्रमिक की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या संघ की संपत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं तो प्रबंधन पक्ष द्वारा क्षति की राशि का दो गुना एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के 50 गुना अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। उसकी वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे कार्य में लिप्त श्रमिक को तत्काल सेवा से पृथक किया जाना होगा एवं भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।
18. श्रमिक ठेकेदार को ठेके के अंतर्गत प्रदत्त प्रशिक्षित श्रमिक अच्छे आचरण एवं चरित्र के देना होंगें। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक डेरी संयंत्र परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो श्रमिक ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना होंगें। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा।
19. ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भागलेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरूद्ध हड़ताल या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेगें। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या हड़ताल में भाग लेता है या संयत्र को बंद कराता है तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना श्रमिक ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। यदि श्रमिक ठेकेदार

द्वारा संबधित श्रमिक को सेवा से पृथक नही किया जाता है व अनुबंध की शर्तो का पालन नही किया जाता है तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा। तथा जमानत/धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा।

20. प्रबंधन के निर्देशानुसार ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (प्रत्येक छः माह में) टिटनेश का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी । भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी। ठेकेदार के श्रमिकों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधाऐं ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधाये उपलब्ध कराई जाती है तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा।
21. ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई रंग की दो गणवेश (दो बुशर्ट, दो पैंट, एक जोड़ी जूते) ठेकेदार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना होगी। गणवेश की प्राप्ति सूची संघ को दी जाना आवश्यक है, अन्यथा गणवेश संघ द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी, जिसकी कीमत ठेकेदार के देयक से कटोत्रा की जावेगी। ऐसे कार्य जैसे– दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उत्पादन व पैकिंग किया जाता है, वहां पर कार्यरत श्रमिक को एप्रान, टोपी, मास्क आदि भी ठेकेदार को स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगी । यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो श्रमिक ठेकेदार से रू. 100/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा। निर्धारित गणवेश के बिना संघ में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। प्रत्येक श्रमिक को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। श्रमिक कार्य पर उपस्थिति के समय अगूंठी, घड़ी, बिंदी, छाता, चश्मा पहनकर कार्य नहीं करेगा, अन्यथा रू. 100/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा।
22. समय–समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर ठेकेदार को तदनुसार श्रमिकों की मजदूरी का पूर्ण भुगतान करना होगा । ठेकेदार को उसके कर्मचारियों पर लागू होने वाले समस्त श्रम अधिनियमों व कारखाना अधिनियमों तथा अन्य वैद्यानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है । यदि ठेकेदार इन नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी।
23. संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा संघ द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रू. 100/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा।
24. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक गत माह में किये गये कार्यो/ लगाये गये श्रमिकों का मानव दिवस (Mandays) के आधार पर शाखा–वार सत्यापित बिल, सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजाई रुप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा, देयकों के साथ मुख्य पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल जिसका जिक इन कंडिकाओं में किया गया है निर्धारित प्रकिृया का पालन

करते हुए प्रस्तुत किया जाता है तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तो के अंतर्गत किया जावेगा । देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन पत्र के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत्रे एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत्रे दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जानबूझकर गलत देयक/बिल प्रस्तुत करने पर राशि का 100 प्रतिशत आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जायेगा। अपूर्ण देयकों को यथा स्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेकेदार द्वारा ई.पी.एफ. व ई.एस. आई. के जमा चालानों के साथ ठेका श्रमिक की सत्यापित सूची जमा किये जाने के उपरांत ही देयको का प्रतिपूर्ति की जायेगी। देयक में दर्शाया गया ई.पी.एफ/ई.एस.आई. कटोत्रा ई.सी.आर. उज्जैन दुग्ध संघ श्रमिको की प्रदत्त सूची से मिलान होना चाहिये,अन्यथा देयक स्वीकृत नही किया जावेगा।

25. ठेकेदार द्वारा आयकर पेन नंबर/जी.एस.टी नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । ठेकेदार के देयक से आयकर का नियमानुसार टीडीएस कटौत्रा कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष के समाप्ति उपरांत ठेकेदार द्वारा संघ से किये गये कटौत्रे का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।
26. ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों का प्रतिमाह ई.पी.एफ./ई.एस.आई का अंशदान निर्धारित दिनांक, निर्धारित समय पर नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति मे शास्ति अगर अरोपित होती है, तो वह भी देयक से वसूल होगी। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी बीमा कार्यालय में प्रतिमाह/ छःमाही/वार्षिकी रिर्टन जो वैधानिक तौर पर चालानों तथा भविष्यनिधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा जी.एस.टी.एन. के रूप में प्राप्त प्रतिपूर्ति की राशि का सेप्रेट ई.सी.आर./चालान होना आवश्यक है। उक्त ई.सी.आर./चालान में आपके अंतर्गत दूसरे ठेके की राशि सम्मिलित नही होना चाहिये, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची सहित प्रतिमाह संघ कार्यालय में जमा करनी होगी तथा मूल चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि " इस चालान कि कुल राशि रू .... मे उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को प्रदाये किये गये कुल .... (संख्या) ठेका श्रमिकों के लिये जमा की गई राशि रु. ....भी सम्मिलित है जिसकी प्रतिपूर्ति उज्जैन दुग्ध संघ से की जा चुकी है" इस आशय का मूल चालान के प्रमाण पत्र में देना अनिवार्य होगा तथा ई.पी. एफ. /ई.एस.आई. के **(ONLINE)** आनलाईन जमा किये गये चालानो के लिए **computerised online** श्रमिकों कि सूचि प्रस्तुत करेगा, जिसमें श्रमिकों के नाम एंव ईपीएफ/ईएसआइ नम्बर सम्मिलित हो। सूचि में से उज्जैन दुग्ध संघ मे कार्यरत श्रमिको के नाम एंव ईपीएफ/ईएसआइ नंम्बर **HIGH LIGHT** किये जाये। इस हेतु श्रमिक ठेकेदार के द्वारा दिया गया कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा तथा अधिनियमित कटौत्रे समय पर जमा करने की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। मजदूरों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि देने में ठेकेदार विफल हो जाता है या भविष्य निधि, ई. एस. आई एवं सर्विस टैक्स आदि जमा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि **(Security Deposit)** राशि से या देय योग्य राशि में से संघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो ठेकेदार से बकाया राशि भूराजस्व/सम्पत्ति से वसूल कर सकेगा । श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक ठेका श्रमिक के नाम से ई.पी.एफ. खाता खोलकर उसमें ई.पी.एफ. अशं जमा करना होगा । ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौत्रे का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक **(Wages)** पर ही देय होगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के चालानो के लिये केवल एक माह की छूट प्रदान की जायेगी

अर्थात् प्रस्तुत किये गये देयकों के अतिरिक्त उसके पूर्व के महीनों के लिये ई.पी.एफ., एवं ई.एस.आई. की पूर्ण राशि के जमा किये गये चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी।

27. ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों, औधोगिक स्वास्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, संविदा श्रमिक अधिनियम एवं कारखाना अधिनियम के अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रतिमाह श्रमिक ठेकेदार को श्रमिकों की सूची व सभी रजिस्टर मासिक देयकों के साथ प्रस्तुत करने होगें। किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये अन्यथा आर्थिक शास्ती आरोपित की जावेगी।
28. ठेका अवधि में ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार वेतन भुगतान कर उसमें ई.पी.एफ./ई.एस.आई/जी.एस.टी. सर्विस टेक्स एवं श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा कर उसमें नियोक्ता के अंशदान की राशि ठेकेदार द्वारा मिलाकर भुगतान की जबाबदारी ठेकेदार की होगी एवं इस पर सर्विस चार्ज देय नहीं होगा।
29. चोरी के प्रकरण में बने पंचनामे की वसूली तीनो पार्टी (पक्षो) क्रमशः वितरक ,श्रमिक ठेकेदार एवं सुरक्षा एजेंसी से बराबर –बराबर राशि वसूली जायेगी। साथ ही दूध वाहन में चढ़ाने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को हटाया जायेगा। यदि एक से तेईस पैकेट तक (11 किलो 500 ग्राम) अतिरिक्त पाये जाने पर दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट या उससे अधिक पाये जाने पर दूध के मूल्य का 50 गुना अर्धदण्ड लगाया जायेगा । इस सबंध मे पंचनामें मे संयंत्र परिसर में उपस्थित एक अधिकारी जो कि प्रबंधक अथवा उससे वरिष्ठ स्तर का हो के हस्ताक्षर आवश्यक है।
30. बोनस /ई.पी.एफ./ई.एस.आई. अधिनियम एवं अन्य वैद्यानिक दायित्वों जैसे जी.एस.टी. सर्विस टेक्स इत्यादि के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं श्रमिकों को भुगतान करने का संपूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी। केवल बोनस पर सर्विस चार्ज संघ द्वारा दिया जावेगा।ई.पी.एफ. चालानो के साथ श्रमिको की आनलाईन ई.पी. एफ. सूची भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। ई.पी.एफ, ई.एस.आई. तथा सर्विस टेक्स की राशि का भुगतान समय पर न होने पर श्रमिक ठेकेदार पर राशि रू. 50,000/– का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
31. निविदा शर्तो एवं अनुबंध में भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तो में परिवर्तन/ संशोधन किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में तीन माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा। जिसका पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
32. श्रमिक ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि/ कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
33. श्रम नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम ठेका श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा । साथ ही रिलीवर/एवजी की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगी। जिसका भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी। ठेकेदार को श्रमिकों की

संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुए मानव दिवस (Manday) के अनुसार भुगतान किया जायेगा। जिसके प्रमाण हेतु सत्यापित उपस्थिति पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है। उपस्थिति पत्रकों में कुल कार्य दिवस प्रतिमाह 26/27 दर्शाये जाने चाहिये। यदि किसी श्रमिक द्वारा 30/31 दिवस कार्य किया गया है तो उपस्थिति पत्रकों में पृथक से अतिरिक्त कार्य दिवस दर्शाया जाये तथा अतिरिक्त कार्य समय भत्ता (ओवर टाईम) के लिये भी पृथक से दर्शाया जाये। यदि किसी श्रमिक को वास्तविक उपस्थिति से कम दिवस का भुगतान किया गया तो उसका 10 गुना ठेकेदार के देयक से काटा जावेगा।

34. श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्री–पेक शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में लीकेज पैकेट वाले पैकेटस रखे जाते हैं एवं इस प्रकार की शिकायतें बाजार से प्राप्त होती है तो श्रमिक ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं अर्थ दण्ड भी आरोपित किया जावेगा साथ ही संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।
35. श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को बताये गये अधिकृत पते अनुसार जी.एस.टी. नंबर आयकर का PAN नं., कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं., कर्मचारी बीमा कोड नं. एवं सर्विस टेक्स का कोड नं की जानकारी स्पष्टतः देनी होगी।
36. यदि किसी श्रमिक के पास वैधानिक लायसेंस (वाहन चालन) है एवं उससे वाहन चालक के रूप में कार्य लिया जाता है तो ऐसे श्रमिक द्वारा लायसेंस की छायाप्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर उसे कुशल श्रमिक की दर से भुगतान किया जावेगा । इसी प्रकार यदि कोई श्रमिक आई.टी.आई. /शासकीय संस्थान से कम्प्यूटर प्रशिक्षित है ओर स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो तो उसे प्रबंधन से अनुमोदन पश्चात कुशल श्रमिक की दर से भुगतान किया जा सकेगा ।
37. श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक ही पाली में निरंतर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है । श्रमिक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक श्रमिक की पाली नियमानुसार बदले ऐसा नहीं पाया जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ती अधिरोपित की जावेगी।
38. यदि कार्य करते समय जिन श्रमिको का ई.एस.आई. नही है,ऐसे किसी श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्क्समेन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का खर्च ठेकेदार को देना होगा। इस हेतु ठेकेदार को प्रति श्रमिक रूपये 50,000/– की वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट के तहत बीमा कम्पनी से दुर्घटना समूह बीमा पॉलसी तत्काल लेना होगी । इस हेतु लिए गये बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी।
39. ठेकेदार का दायित्व होगा कि, प्रत्येक शाखा में प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर इन श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही कर आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जायेगा।
40. ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे श्रमिकों की संख्या मय् नाम, उपनाम, पिता का नाम,आधार नंबर एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन शाखावार तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा अन्यथा आर्थिक दण्ड़ लगाया जायेगा।
41. ठेकेदार को संघ के टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के अधिकृत कर्मचारी द्वारा

मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। ठेकेदार को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

42. ठेकेदार को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी।
43. ठेकेदार अथवा प्रबंधन को ठेके की अवधि के मध्य तीन माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा ।
44. उपरोक्त लिखी हुई शर्तों व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो ठेका रद्द किया जा सकेगा एवं सुरक्षा निधि **(Security Deposit)** की राशि जब्त कर ली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड़ भी आरोपित किया जायेगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
45. यदि ठेके की शर्तो के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद को अधिनिर्णयार्थ (Arbitration) का अधिकार अध्यक्ष, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन को होगा । अध्यक्ष, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
46. यदि ठेकेदार का मुख्यालय उज्जैन शहर के अतिरिक्त अन्य कही है तो उसे उज्जैन शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा उससे प्रबंधन द्वारा पत्राचार स्थानिय कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा।
47. किसी भी वाद–विवाद की सुनवाई उज्जैन न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी ।
48. श्रमिक ठेका संयत्र उज्जैन, रतलाम , मन्दसौर, एवं आगर ,शाजापुर, शामगढ़ , आलोट, मनासा, सुसनेर शीतकेन्द्रो के लिये भी होगा।
49. ठेका अवधि के प्रत्येक वर्ष के अंत में ठेकेदार द्वारा श्रमिको के वर्षवार ई.पी.एफ./ई.एस.आई. स्टेटमेंट दिये जाने होगे। इस हेतु श्रमिक केम्प संघ के केम्पस में लगाना होगा।
50. संघ के वर्तमान सुरक्षा ठेकेदार इस निविदा में भाग नही ले सकते है।
51. श्रमिकों को शत प्रतिशत भुगतान केवलमात्र **R.T.G.S.** के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद भुगतान हेतु निविदाकार स्वयं उत्तरदायी होगे।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
मक्सी रोड़,उज्जैन(म.प्र.)

प्रपत्र–4

दुग्ध संयंत्र एवं दुग्ध शीत केन्द्रों की सूची

नाम		ठेका श्रमिकों की मांग प्रतिदिन अनुमानित संख्या
1. दुग्ध संयंत्र,उज्जैन	–	175
2. दुग्ध संयंत्र, रतलाम	–	35
3. दुग्ध संयंत्र, मंदसौर	–	27
4. दुग्ध शीतकेन्द्र,आगर	–	10
5. दुग्ध शीतकेन्द्र,शाजापुर	–	10
6. दुग्ध शीतकेन्द्र,शामगढ	–	11
7. दुग्ध शीतकेन्द्र,मनासा	–	12
8. दुग्ध शीतकेन्द्र,आलोट	–	10
9. दुग्ध शीतकेन्द्र,सुसनेर	–	04

कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन

प्रपत्र–03

"भाव पत्र / दरे"

(केवल ऑनलाईन दी गई दरें की मान्य होगी)

निविदाकार नाम ———————————

मोबाईल नंबर ———————————

निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दरें प्रस्तुत करें जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा :–

क्र.	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत
	सुपरवीजन सर्विस चार्ज	

निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

क्र.	विवरण
1.	मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)
2.	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान
3.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान
4.	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस
5.	जी.एस.टी.
6.	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि
7.	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान
8.	वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम रू. 50,000/– प्रति श्रमिक)
9.	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाईम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान

नोटः–

1.	ठेकेदार को मानव दिवस (Manday) के आधार पर भुगतान किया जावेगा ।
2.	उक्त मदों में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति श्रमिकों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी।